जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 06.11.2023**

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 साईकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 साईकिल बरामदः-

आज दिनांक 06.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर साईकिल चोर को चोरी की हुई 01 साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 05.11.2023 को वादी श्री बिट्टू निवासी जलालाबाद अपनी साईकिल से सामान लेने कस्बा झिंझाना आया था। कस्बा झिंझाना के होली कल्लर चौक से अज्ञात चोर द्वारा साईकिल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

पंकज पुत्र विजयपाल निवासी मौहल्ला ताडवाला कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास पंकज उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 520/22 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की हुई 01 साईकिल एटलस कम्पनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 भारत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन व थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्त किये गिरफ्तारः-</u>

पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन व थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1. सराफत पुत्र आइक अली निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2. इसराईल धोबी पुत्र बशीर अहमद उर्फ महमूद हसन निवासी कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>**थाना कैराना**</u>

<u>**थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस 280 ग्राम बरामदः-**</u>

दिनांक 05.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर मजर के घर के पास ग्राम गोगवान से 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध चरस 280 ग्राम सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**</u>

अलीशान पुत्र मजर हसन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

<u>**बरामदगी का विवरणः-**</u>

अवैध चरस 280 ग्राम।

<u>**गिरफ्तार करने वाला पुलिस टीमः-**</u>

1.उ0नि0 श्री सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।

2. हे0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते अवैध हथियार रखने के मामले में अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2004 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र जय सिंह सैनी निवासी भनेडा उद्दा थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मु 0अ0सं0 172/04 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना थानाभवन जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.11.2023 को माननीय न्यायालय CJ (JD) JM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में माननीय न्यायालय के उठने तक के कारावास की सजा व 200/- रुपये के अर्थदण्ड के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र जय सिंह सैनी निवासी भनेडा उद्दा थाना थानाभवन जनपद शामली।